ले.प.प्रति.सं.-59/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **बागेश्वर** के **06/2014** से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल**, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **04.02.2019** से **08.02.2019** तक श्री प्रभाकर दूबे वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी**,** एवं अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**,** द्वारा दिनाँक 04.06.2014 से 07.06.2014 तक सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह **02/1999** से **05/2014** तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **06/2014** से **01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **बागेश्वर**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	54.84	45.91	4.08	3.87	-	9.14
2016-17	-	-	43.97	43.97	2.44	2.42	-	0.02
2017-18	-	-	54.87	53.15	7.18	7.11	-	1.79
2018-19 (1/ 2019 तक)	-	-	57.28	42.55	39.11	26.32	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांखिकीय अधिकारी
सहायक सांखिकीय अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/**15, एवं **01/19** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ</u>

-----------------शून्य -----------------

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1-</u> समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत भी नवाचार निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का पूर्ण न होना ₹ 42.92 लाख।

कार्यालय में 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाएँ कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी पूर्ण नहीं की गई है:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत रू
1	रींगल परियोजना	शिखर पर्यावरण एवं ग्रामीण युवा समिति, कपकोट	244000
2	ग्रामीण छात्र छात्राओं हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम	Society for applied socio-economic research and development studies, centre Haldwani	734000
3	बढ़ईगिरी प्रशिक्षण से ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण	शक्ति जन कल्याण समिति	858000
4	महिला समूहों की कृषि उत्पाद द्वारा आय अर्जन एवं सशक्तिकरण	ग्रामीण विज्ञान समिति, कपकोट	630000
5	लूम प्रॉडक्ट/जूट उत्पाद द्वारा ग्रामीणों का उत्थान	संजीवनी विकास एवं जनकल्याण समिति रानीखेत	561000
6.	पीरुल घास व पत्तों द्वारा ब्रीकेट्स बनाकर इसकी राख से ईंट बनाने का प्रशिक्षण	दानपुर हिमालयन रूलर एवं एग्रिकल्चर सोसाइटी नियर डिग्री कॉलेज बागेश्वर	242000
7.	गरुड में कूड़ा निस्तारण	जिला पंचायत बागेश्वर	352000
8.	Multidimensional pathology lab for health awareness and development of कम्यूनिटी	उत्तरांचल ग्रामीण विकास समिति बागेश्वर	671000
योग			4292000

उपरोक्त के पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबंध में मुख्यालय तथा संस्थाओं से पत्राचार किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, जिससे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तथा शासकीय धन का व्यय निष्फल रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो-'ब'

प्रस्तरः2- रू 12.70 लाख के सापेक्ष रू 6.25 लाख 49.21% व्यय माह मार्च में किया जाना।

जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को जिला सैक्टर योजना मुख्य शीर्ष 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास 91 जिला योजना 05 जिला योजना बागेश्वर के अंतर्गत योजना नियोजन एवं प्रबंधन का क्रियान्वयन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः रू 6.70 लाख एवं रू 6.00 लाख का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन उपर्युक्त मद के लिए था ताकि वर्ष भर योजनाओं के नियोजन के लिए आवश्यकतानुसार समान रूप से व्यय किया जा सके। व्यय में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था कि का व्यय नियोजन कार्य के लिए एवं आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

उक्त योजने से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल आवंटन रू 6.70 लाख के सापेक्ष माह मार्च 2017 में रू 3.16 लाख अर्थात कुल व्यय का 47.23% जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 03/2018 में कुल आवंटन रू 6.00 लाख के सापेक्ष रू 3.09 लाख अर्थात कुल आवंटन का 51% व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में नियोजन मद में 50% धनराशि व्यय करने का औचित्य समझ से परे था कारण कि कोई भी नियोजन जिला नियोजन के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के लिए किया जना चाहिए ताकि वह उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभप्रद हो।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि इस मद के अंतर्गत जिला योजना की बैठक/कार्यशाला में धनराशि व्यय की जाती है जो कि मार्च माह में आयोजित होने के कारण धनराशि मार्च माह में व्यय की गयी है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि जिला योजना के लिए कार्यशाला/बैठक वित्तीय वर्ष के शुरू या मध्य में आयोजित किया जाना लाभप्रद होगा न कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में और उसमें भी आधी धनराशि व्यय करने के लिए। स्पष्ट है कि बचे हुए आवंटन को व्यय करना ही लक्ष्य था जो कि उत्तराखंड बजट मेन्यूल 2012 के अंतर्गत नियम 183 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरूद्ध है।

अतः वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में लगभग 50% धनराशि रू 6.25 लाख व्यय करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1-जिला नवाचार निधि के अंतर्गत अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 2.29 लाख।

कार्यालय में 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹	अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की लागत ₹
1.	Income generation through natural fibre	माँ मानव सेवा समिति, बागेश्वर	998000	4	99800
2.	सोवियत चिंचिला खरगोश की बैकयार्ड पालन विधि द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान	पर्वतीय अरण्य सेवा एवं विकास संस्थान	452000	4	45200
3.	महिला समूहों की कृषि उत्पाद द्वार आय अर्जन एवं महिला सशक्तिकरण	ग्रामीण विज्ञान समिति, कपकोट	180000	3	36000
4.	पीरुल घास	दानपुर हिमालयन रूलर वं एग्रिकल्चर सोसाइटी	242000	3	48400
योग					229400

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संस्था में पत्राचार किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
05/2014-15	-	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
05/2014-15	भाग 2 ब- प्रस्तर 1	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की गयी है।	**लेखापरीक्षा कार्यालय से उत्तर प्राप्त होने तक प्रस्तर यथावत रखा जाता है।**	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री डी पी नौटियाल	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	03.12.2013	17.06.2015
2.	श्री अतुल प्रताप	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	18.06.2015	01.08.2015
3.	श्रीमती पूनम पाठक	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	19.09.2015	20.07.2016
4.	श्री देवेन्द्रनाथ गोस्वामी	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	21.07.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र